

14/08/23

अधिवक्ता अमीलॉट अनु.। अमीलॉट व उनके अधि-
वक्ता को न्यायालय की ओर से बार-बार आगमने
लगाने के बावजूद जोरें उपस्थित नहीं आया। लिहाज
पत्रावली अदम हाफिरी अदम फौरन से खारिज
की जाले हैं। पत्रावली फ़ैसल सुमार लेकर बाद
आबरमक क़ार्चवाल दाखिल हुकर है।